प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
चिल्ड्रेन्स एकेडमी गोरपुर, ऐरा रोड
वि0क्षे0–लखीमपुर।

पत्रांक मान्यता/ 16854-61 /2019–20 दिनांक– 18 फरवरी 2020

विषयः–प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक अंग्रेजी माध्यम) की नवीन अस्थायी मान्यता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत कक्षा 1 से 5 तक की अंग्रेजी माध्यम नवीन अस्थायी मान्यता हेतु आवेदन के प्रति शासनादेश सं0 69/अरसठ–2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 में वर्णित प्राथमिक स्तर के अशासकीय विद्यालयों की नवीन मान्यता हेतु निर्धारित मानकों के प्रति जनपद स्तर पर प्राविधानिक जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 11.02.2020 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में क्रम संख्या–03 पर अंकित उक्त विद्यालय को कक्षा–1 से 5 तक अंग्रेजी माध्यम की मान्यता शासनादेश दिनांक 11.01.2019 में निहित निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत रखते हुये औपबन्धित अस्थायी मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिये निम्न प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है। तदोपरान्त एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तो का पुनः परीक्षण एवं आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी। उल्लिखित प्रतिबंधको का उल्लंघन करने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।
उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अधीन है–

1–विद्यालय संचालनकर्ता सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अर्न्तगत पंजीकृत एवं निर्धारित समय पर नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
2 विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोशिएशन के लाभ पहुचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
3–विद्यालय का संचालन सुचारु रूप से किये जाने हेतु प्रबन्धितन्त्र द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन विद्यालय में उपलब्ध कराये जाऐंगे तथा जिन विषयों में अध्ययन के लिऐ विद्यालय को मान्यता प्रदान की जा रही है उनके लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानको के अनुसार यथोचित सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।
4–बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तको से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। अनाप्य पुस्तको का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। छात्र–छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
5–विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
6–भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव, तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिए प्राविधानित नितियो तथा समय–समय पर निर्गत शासन के आदेशो तथा विभागीय आदेशो तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।
7 विद्यालय भवन/परिसर को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यो के लिए दिन व रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियो के आवास हेतु छूट रहेगी। विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक या गैर शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रयोग मे नही लिया जायेगा।
8–विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाले संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य है। अधिकतम दो वर्ष मे विद्यालय भवन का रंग–रोगन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।
9–विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेंगा। बेसिक शिक्षा विभाग मे जनपदीय/मण्डलीय/राज्यस्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से सूचनाऐं एवं आख्या मांगे जाने पर निर्देशानुसार प्रस्तुत करना तथा दिये गये निर्देशो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
10 विद्यालय प्रबंध समिति को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12 (1)(सी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चो को प्रवेश लिया जायेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानको का पालन करना अनिवार्य होगा। तथा राज्य सरकार द्वारा पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 में निहित प्राविधानो का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
11–शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी रखा जायेगा तथा अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढायी जायेगी।
12–कक्षा 1 से 5 के अतिरिक्त अन्य अमान्य कक्षाए संचालित नहीं की जायेगी। विद्यालय मे सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चो को प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा।

13–विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकता अनुसार उपयुक्त निजी भवन होना एवं विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 में प्राविधानित सुरक्षा उपायों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा विद्यालय भवन के लिये सहायक अभियन्ता द्वारा निर्गत भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

14–विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख–रखाव का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतन्त्र का होगा। विद्यालय भवन की छत एवं दिवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती,धूप एवं ठण्ड से बचाव की प्रयाप्त व्यवस्था तथा कक्षा कक्षों का हवादार एवं रोशनीयुक्त होना अनिवार्य है। दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँचन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं निर्देशों का मुर्गता अनुपालन किया जायेगा।

15–विद्यालय में अग्निशमन यंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा, अग्निशमन यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण स्टाफ को प्रत्येक वर्ष कराया जाना तथा ज्वलनशील/हानिकारक पदार्थों को बच्चो की पहुँच से दूर समुचित सुरक्षायुक्त कक्ष में रखने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

16–विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए परन्तु कक्षा कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट (कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था) होना अनिवार्य है। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो। विद्यालय परिसर में या विद्यालय के समीप खेल कूद के लिए पर्याप्त क्रिडा स्थल उपलब्ध होना चाहिए।

17–शिक्षण कक्षो के अतिरिक्त, प्रधान अध्यापक कक्ष, कार्यालय, स्टाफ कक्ष,पुस्तकालय/वाचनालय, छात्र/छात्राओं एवं अध्यापक/ अध्यापिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय–मुत्रालय एवं हाथ साफ करने के लिये समुचित व्यवस्था तथा पीने हेतु जीवाणु रहित स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य है।

18–कक्षा स्तर के अनुरूप छात्रोपयोगी विभिन्न विषयो की पुस्तके खेलकूद का सामान मानचित्र शैक्षिक चार्ट विज्ञान सामग्री भौगोलिक नक्शे ग्लोब विषय से सम्बन्धित चार्ट सामान्यज्ञान शिक्षाप्रद पुस्के तथा पत्र पत्रिकाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। दृश्य एवं श्रव्य उपकरण आदि की व्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये की जायेगी।

19–प्राथमिक विद्यालयो में शिक्षको की शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) के अनुसार तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयो में शिक्षको की शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्ते) नियमावली–1978 (यथा संशोधित) के अनुसार होगी। विद्यालय के शिक्षको/ कार्मिको का वेतन भुगतान प्रबंधतंत्र द्वारा निजी स्रोतो से किया जायेगा।

20–जि0बे0शि0अधि0 की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कोई कक्षा अथवा अनुभाग न खोला जायेगा न ही, बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। इस मान्यता आदेश के आधार पर शाखा विद्यालय संचालित करना शासनादेश का उल्लंघन माना जायेगा। विद्यालय स्ववित्त पोषित होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नही किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में अनुदान स्वीकृति हेतु कोई भी दावा मान्य न होगा।

21 विद्यालय द्वारा छात्रो से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना ही मासिक शुल्क लिया जायेगा। जो स्टाफ के वेतन अनुरक्षण व इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के प्रयाप्त हों। वार्षिक आय मे से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई भी वृद्धि तीन वर्ष तक नही की जायेगी तथा समयोपरान्त शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी। पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप मे कोइ भी शुल्क विद्यार्थियो से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

22–शासनादेश संख्या–89/ अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 में दिए गये समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(बुद्ध प्रिय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी

पृ0सं0 व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1–शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
2–जिलाधिकारी, लखीमपुर–खीरी।
3–सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
4–अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ठ मण्डल, लखनऊ।
6–जिला समाज कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी लखीमपुर–खीरी।
7–खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर–खीरी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
चिल्ड्रेन्स एकेडमी मीरपुर ऐरा रोड,
वि0क्षे0–लखीमपुर।

पत्रांक: मान्यता/ 16683-90 /2019–20 दिनांक– 15 फरवरी 2020

विषय:–उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम) की नवीन अस्थायी मान्यता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत कक्षा 6 से 8 तक की अंग्रेजी माध्यम नवीन अस्थायी मान्यता हेतु आवेदन के प्रति शासनादेश सं0 -89/अरसठ–2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 में वर्णित उच्च प्राथमिक स्तर के अशासकीय विद्यालयो की नवीन मान्यता हेतु निर्धारित मानको के प्रति मण्डल स्तर पर प्राविधानिक मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 25.01.2020 में लिये गये निर्णय के अनुपालन मे कम संख्या–02 पर अंकित उक्त विद्यालय को कक्षा–6 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम की मान्यता शासनादेश दिनांक 11.01.2019 मे निहित निर्धारित प्रारूप पर नियमावली मे उल्लिखित प्राविधानो को दृष्टिगत रखते हुये औपबन्धित अस्थायी मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिये निम्न प्रतिबंधो के अधीन प्रदान की जाती है। तदोपरान्त एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमो/शर्तो का पुनः परीक्षण एवं आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी। उल्लिखित प्रतिबंधको का उल्लंघन करने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।
उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है–

1–विद्यालय संचालनकर्ता सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अर्न्तगत पंजीकृत एवं निर्धारित समय पर नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।

2–विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियो के समूह अथवा एसोसिएसन के लाभ पहुचाने के लिए संचालित नही किया जायेगा।

3–विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से किये जाने हेतु प्रबन्धकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन विद्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जिन विषयो में अध्ययन के लिऐ विद्यालय को मान्यता प्रदान की जा रही है उनके लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानको के अनुसार पर्याप्त सुविधाओ की व्यवस्था की जायेगी।

4–बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठयक्रम या पाठय पुस्तको से भिन्न पाठयक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी न ही पाठय पुस्तको का उपयोग किया जायेगा। सामान्य पुस्तको का प्रयोग किसी भी दशा में नही किया जायेगा। छात्र–छात्राओ का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।

5 विद्यालय में राष्ट्रीय गीतो एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

6–भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव, तथा मानवीय मूल्यो की सम्प्राप्ति के लिए प्राविधानित नितियो तथा समय–समय पर निर्गत शासन के आदेशो तथा विभागीय आदेशो तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

7–विद्यालय भवन/परिसर को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यो के लिए दिन व रात में प्रयोग नही किया जायेगा परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियो के आवास हेतु छुट रहेगी। विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक या गैर शैक्षिक कियाकलापो के प्रयोग मे नही लिया जायेगा।

8–विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाले संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (Logo) एव नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य है। अधिकतम दो वर्ष मे विद्यालय भवन का रंग–रोगन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।

9–विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग मे जनपदीय/मण्डलीय/राज्यस्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से सूचनाऐ एवं आख्या मांगे जाने पर निर्देशानुसार प्रस्तुत करना तथा दिये गये निर्देशो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10–विद्यालय प्रबंध समिति को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–12 (1)(सी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चो को प्रवेश लिया जायेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानको का पालन करना अनिवार्य होगा तथा राज्य सरकार द्वारा पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 में निहित प्राविधानो का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

11–शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी रखा जायेगा तथा अंको के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढायी जायेगी।

12–कक्षा 06 से 08 के अतिरिक्त अन्य अमान्य कक्षाए संचालित नही की जायेगी। विद्यालय मे सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चो को प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा।

13–विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकता अनुसार उपयुक्त निजी भवन होना एवं विद्यालय का मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 में प्राविधानित सुरक्षा उपायो/मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा विद्यालय भवन के लिये सहायक अभियन्ता द्वारा निर्गत भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

14–विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख–रखाव का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतन्त्र का होगा। विद्यालय भवन की छत एवं दिवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती,धूप एवं ठण्ड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था तथा कक्षा-कक्षों का हवादार एवं रोशनीयुक्त होना अनिवार्य है। दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँचन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

15–विद्यालय में अग्निशमन यंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा, अग्निशमन यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण स्टाफ को प्रत्येक वर्ष कराया जाना तथा ज्वलनशील/हानिकारक पदार्थों को बच्चों की पहुँच से दूर समुचित सुरक्षायुक्त कक्ष में रखने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

16–विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए परन्तु कक्षा कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट (कम से कम 20 बच्चो के बैठने की व्यवस्था) होना अनिवार्य है। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश लिया जायेगा, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो। विद्यालय परिसर में या विद्यालय के समीप खेल–कूद के लिए पर्याप्त क्रिडा स्थल उपलब्ध होना चाहिए।

17–शिक्षण कक्षो के अतिरिक्त, प्रधान अध्यापक कक्ष, कार्यालय, स्टाफ कक्ष,पुस्तकालय/वाचनालय, छात्र/छात्राओं एवं अध्यापक/ अध्यापिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय- मूत्रालय एवं हाथ साफ करने के लिये समुचित व्यवस्था तथा पीने हेतु जीवाणु रहित स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य है।

18–कक्षा स्तर के अनुरूप छात्रोपयोगी विभिन्न विषयो की पुस्तके खेलकूद का सामान मानचित्र शैक्षिक चार्ट विज्ञान सामग्री भौगोलिक नक्शे प्रत्येक विषय से सम्बन्धित चार्ट सामान्यज्ञान शिक्षाप्रद पुस्के तथा पत्र पत्रिकाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। दृश्य एवं श्रव्य उपकरण आदि की व्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनो को दृष्टिगत रखते हुये की जायेगी।

19–प्राथमिक विद्यालयो में शिक्षको की शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (यथावत संशोधित) के अनुसार तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयो में शिक्षको की शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0) (अध्यापको की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली–1978 (यथा संशोधित) के अनुसार होगी। विद्यालय के शिक्षको/ कार्मिको का वेतन भुगतान प्रबंधतंत्र द्वारा निजी स्रोतो से किया जायेगा।

20–जि0बे0शि0अधि0 की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कोई कक्षा अथवा अनुभाग न खोला जायेगा न ही, बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। इस मान्यता आदेश के आधार पर शाखा विद्यालय संचालित करना शासनादेश का उल्लघन माना जायेगा। विद्यालय स्ववित्त पोषित होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नही किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में अनुदान स्वीकृति हेतु कोई भी दावा मान्य न होगा।

21 विद्यालय द्वारा छात्रो से शिक्षण शुल्क एवं महगाई शुल्क मिलाकर उतना ही मासिक शुल्क लिया जायेगा। जो स्टाफ के वेतन अनुरक्षण व इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के पर्याप्त हो। वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई भी वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी तथा तदोपरान्त शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी। पंजीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप मे कोई भी शुल्क विद्यार्थियो से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

22–शासनादेश संख्या–89/ अरसठ–5–2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 में दिए गये समस्त आदेशो का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(बुद्ध प्रिय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी

पृ0सं0 व दिनाक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1–शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
2–जिलाधिकारी, लखीमपुर–खीरी।
3–सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
4–अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ठ मण्डल, लखनऊ।
6–जिला समाज कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी लखीमपुर–खीरी।
7–खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर–खीरी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी